कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 1010 /11–सी–FP/UP/Others/20676/2016, लखनऊ, दिनांकः नवम्बर 10 ,2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषयः– जनपद–अम्बेडकरनगर में भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 द्वारा गोशाईगंज–रनीवां मार्ग (गोशाईगंज–भीटी मार्ग) के किमी0 1–2 के मध्य दांयी पटरी पर ग्राम–महम्मदपुर, तहसील–भीटी, अम्बेडकरनगर के गाटा संख्या–215 में प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.064458 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सरयू वृत्त, फैजाबाद के पत्रांक–1422/14–10, दिनांक–08.11.2016 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नांकित अभिलेखों सहित प्रस्ताव की एक मूल प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है, कि विषयांकित प्रयोजन हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के धारा–02 के अन्तर्गत प्रदान करने की कृपा करें।

1– प्रस्तावित वनभूमि का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है।
2– याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है।
3– भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
4– प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है।
5– परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश संलग्न है।
6– मानक शर्तो के मान्य होने की वचनबद्धता संलग्न है।
7– शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) जमा किये जाने की वचनबद्वता संलग्न है।
8– प्रस्तावित वनभूमि का सत्यापित Geo Refferenced Digital Map सीडी सहित संलग्न है।
9– प्रभावित संरक्षित वनभूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है।
10– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map सीडी सहित संलग्न है।
11– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट संलग्न है।
12– गजट नोटिफिकेशन की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।
13– परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
14– प्रमुख वन संरक्षक, लखनऊ के पत्रांक 1017/23 कोर्टकेस, दिनांक 11.11.11 के अनुसार वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र इस प्रस्ताव में सम्मिलित न होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र संलग्न है।
15– भू–स्वामित्व वाले विभाग (लो.नि.वि.) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
16– वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
17– भू–स्वामित्व वाले विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा भारत सरकार की गाइड लाइन दिनांक 24.07.2013 के अनुसार अनुमोदित ले आउट प्लान संलग्न है।
18– On line data entry का Time Line Detail संलग्न है।

संलग्नकः–यथोक्त (सी0डी0 सहित)।

भवदीय,
10/11/16
(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी–FP/UP/Others/20676/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अम्बेडकरनगर।
3. प्रादेशिक प्रबन्धक, भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, गोरखपुर टेरीटरी, पो0 बैतालपुर, जिला–देवरिया।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 788